– 9.

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक / एफ 1–48 / 2009 / 20–1 भोपाल, दिनांक 26/9/09

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
2. समस्त आयुक्त, नगर निगम,
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत / जनपद पंचायत,
4. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका / नगर पंचायत,
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त आदिवासी विकास मध्यप्रदेश.

विषयः– अध्यापक संवर्ग की हड़ताल के संबंध में।

––0––

प्रदेश में कार्यरत् अध्यापक संवर्ग द्वारा दिनांक 05 सितंबर 2009 को भोपाल में मांगों के संबंध में अर्द्धनग्न प्रदर्शन किया गया। राज्य सरकार द्वारा महसूस किया गया है कि अध्यापक संवर्ग द्वारा किया गया यह प्रदर्शन शिक्षकीय एवं शिक्षक दिवस की गरिमा के प्रतिकूल है। अध्यापक संवर्ग के नियम एवं सेवा की शर्ते नियम–2008 के नियम–8 (क) में अध्यापक संवर्ग के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी का प्रावधान दिया गया है। अध्यापक संवर्ग के उक्त प्रदर्शन के संबंध में भाग लेने वाले अध्यापकों के विरूद्ध निम्नानसुार कार्यवाही की जाए :–

1. दिनांक 05 सितंबर 2009 को विद्यालय से अनुपस्थित रहने वाले एवं प्रदर्शन में भाग लेने वाले अध्यापकों का एक दिवस का वेतन काटा जाए।
2. क्रमांक–1 में उल्लेखित अध्यापकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए नियम–2008 के नियम–8 (क) के अनुसार समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।
3. दिनांक 05 सितंबर 2009 के पश्चात विद्यालय से अनुपस्थित रहने वाले तथा अपनी मांगों के संबंध में प्रदर्शन करने वाले अध्यापकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।

(सी.बी. पड़वार)
अवर सचिव
म.प्र शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

/10

भोपाल, दिनांक 26/9/09

पृष्ठां क्रमांक / एफ 1-48 / 2009 / 20-1

प्रतिलिपिः-

1. निज सहायक, मा. मंत्रीजी जी म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त / पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग / नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं प्रमुख सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, लोक शिक्षण / आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल।
4. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, भोपाल।
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।

Bhadwade

अवर सचिव
म.प्र शासन
स्कूल शिक्षा विभाग